रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 1994/भाद्र 14, 1916
No. 442] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 1994/BHADRA 14, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1994

सं. 45/94(एन.टी.) सीमाशुल्क

का.आ. 643(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/89 (एन.टी.) सीमाशुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, मद (क) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(क) निर्यात माल या ऐसे किसी वर्ग के माल की लदाई के लिए; और"।

[फा. सं.: 574/10/94-एल.सी.)

एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1994

No. 45/94(NT)-CUSTOMS

S.O. 643(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 44/89(NT) CUSTOMS, dated the 30th July, 1989, namely :—

In the said notification, for item (a), the following item shall be substituted, namely :—

"(a) the loading of export goods or any class of such goods ; and".

[F. No. 574|10|94-LC]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994